International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 28-05-2022, Accepted: 15-06-2022, Published: 30-06-2022
Volume 4, Issue 1, 2022, Page No. 69-72

महिला सुरक्षा में मोबाइल ऐप की भूमिकाः एक अवलोकन

डॉ. सुनीता पारीक[1], डॉ. संजय कुमार[2]
[1] एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग आदिति कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत
[2] एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग, विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश
महिलाएं जो की देश की आबादी का आधा हिस्सा है, देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति में बराबर की भागीदारी रखती हैं, परंतु बराबर की भागीदारी रखते हुए भी डर और भय के माहौल में अपने आप को कई बार अकेला होने की स्थिति में संकट की अवस्था में पाती है, ऐसे में डर और भय का माहौल तथा संकट में फंसी किसी भी महिला या युवती को तुरन्त उसी वक्त किसी भी प्रकार के सहायता पुलिस द्वारा या परिवारजनों द्वारा न मिलने से उस महिला या युवती के साथ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। एक तरफ जहां हम भारत विकास तथा आधुनिकीकरण की दौड़ में शामिल होकर महिला विकास तथा महिला सुरक्षा का दावा ठोकते हैं वहीं एक कड़वा सच यह भी है कि आज भी महिला सुरक्षा को लेकर और अधिक कोशिशें करने की जरूरत है। जब महिला या बच्ची घर से बाहर निकलती है तो कदम कदम पर गहरा डरावना साया कभी भी कहीं भी उसका पीछा कर सकता है। घर से लेकर गली के नुक्कड़ तक होते हुए ऑफिस तक, सड़क पर, बस में, रेल में मेट्रो में, बस अड्डे पर रेलवे स्टेशन पर, मॉल में ,कहीं भी किसी भी कोने में, यह डर का साया उन्हें घेरने की कोशिश करता है। संकट में फंसी बच्चियां या महिला को सरकार और पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचाने हेतु मोबाइल एप द्वारा पुलिस विभाग और उनके परिवार जनों को तुरंत संकट की स्थिति की सूचना प्राप्त होने से तथा महिला को सहायता पहुंचाने हेतु काफी मददगार साबित हो रहा है। महिला सुरक्षा हमेशा हर सरकार की प्राथमिकता रहती हैं। अब सरकारों के साथ–साथ दिल्ली पुलिस ने भी महिला सुरक्षा को लेकर अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। और विभिन्न राज्यों में सरकार और पुलिस के द्वारा मोबाइल ऐप के हेल्प के माध्यम से तुरंत महिलाओं को संकट की स्थिति में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है और इसमें काफी हद तक पुलिस तथा सरकार को कामयाबी भी मिली है।
आज के डिजिटल युग में अपराध करने के तरीके बहुत ही शातिर हो गए हैं, जहां कई बार महिला को भनक भी नहीं लग पाती कि अपराधी उसका लगातार पीछा कर रहा है। हम कह सकते हैं कि किसी भी बुरी घटना के लिए तीन मुख्य तत्व महत्वपूर्ण हो सकते हैं एक तो अपराधी खुद, दूसरा शिकार होती महिला या बालिका और तीसरा हमला करने का मौका या अवसर। इसमें से एक भी तत्व का तालमेल न बैठे तो हादसा टल सकता है।[1] अतः अपराधी के शिकंजे में फंसने से पहले ही अलर्ट होकर कोई भी महिला या युवती अपने परिवारजनों और पुलिस की सहायता से इन मोबाईल एप के द्वारा, जो की विभिन्न विभिन्न राज्यों में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए लांच किए जाते रहे हैं, ऐसे किसी भी बुरी घटना से बच सकती है। आज के समय में जब हम महिला समानता का दावा ठोकते है, कोई भी युवती या महिला सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रगति का रास्ता इस बात से नहीं रोक सकती कि बाहर जाने पर उसकी सुरक्षा को खतरा है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो महिला प्रगति की बात करना बेमानी होगा। आज के समय में मोबाइल हम सबके पास होता है, वही मोबाइल हमारी सुरक्षा को पुख्ता कर सकता है। महिला की प्रगति को रोकने के बजाय उसके हाथों में जो मोबाइल होता है, उसी में डाउनलोड किए ऐप से महिला सुरक्षा को पुख्ता बनाना ज्यादा प्रभावी साबित बनाने के कोशिश हो रही है। अतः वर्तमान में सरकार और पुलिस की मदद से लांच किए जा रहे यह विभिन्न ऐप महिला सुरक्षा को लेकर मददगार साबित हो रहे हैं। प्रस्तुत लेख में महिला सुरक्षा हेतु विभिन्न राज्यों में लॉन्च किए गए इन एप की जानकारी दी जाएगी और किस प्रकार से इनसे महिला सुरक्षा में मदद मिली है और कैसे महिलाएं इनका प्रयोग कर खुद को शिकार होने से बचा सकती है। और इसमें पुलिस और प्रशासन की क्या भूमिका रही है इसका विश्लेषण किया जाएगा।

मूल शब्दः महिला सुरक्षा ,डिजिटल युग, मोबाईल ऐप, एसओएस, पुलिस कंट्रोल रूम

प्रस्तावना
आज के समय में बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार और पुलिस के द्वारा मिलकर मोबाइल ऐप का प्रचार प्रसार और प्रयोग किया जा रहा है और उन्हें लॉन्च किया जा रहा है ताकि मुसीबत से घिरी महिला उस मुसीबत से बचकर निकलने के लिए अपनी फैमिली के लोगो और पुलिस विभाग तक तत्काल ही एक मैसेज के द्वारा या ऑडियो या वीडियो क्लिप के रूप में अपनी बात को पहुंचा सके और उसका यह मैसेज तत्काल ही पुलिस और उसके सिलेक्ट किए गए परिवारजनों के नंबरों पर पहुंच जाता है। जिसमें अच्छी बात यह होती है कि जब तक कोई महिला मुसीबत में घिरने पर किसी को बुलाने का सोचे या किसी को फोन करने का सोचा उससे पहले ही पुलिस उसके पास मदद के लिए पहुंच जाती हैं।

हिम्मत ऐप (दिल्ली)

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार तथा दिल्ली पुलिस के सहयोग से एक विशेष ऐप 2015 में लॉन्च किया गया जोकि आसानी से किसी भी एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड किया जा सकता है, और अपना नाम, मोबाइल नंबर और इमरजेंसी नंबर की जानकारी डालने के साथ यह एक्टिवेट हो जाता है। मुसीबत के समय महिला द्वारा फोन को जोर–जोर से हिलाते ही, ऐप में डाला हुआ एसओएस बटन जैसे ही ऑन करती है, वैसे ही उसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम में तथा उसके परिवारजनों के सिलेक्ट किए गए नंबरों पर पहुंच जाती है, जो उस महिला के लिए काफी मददगार साबित होती है। इसमें हर 10 सेकंड में उस महिला का अपडेट कंट्रोल रूम तक पहुंचता रहता है।[2] इस तरह दिल्ली की महिलाओं के लिए हिम्मत एप के द्वारा महिला सुरक्षा को प्रभावकारी तरीके से अप्लाई किया गया है। और इस ऐप की जानकारी पहुंचाने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में दिल्ली पुलिस के द्वारा काफी अहम तरीके से वर्कशॉप आयोजित कर तथा उन्हें उसी समय उनके मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड करवा कर बताया गया कि इस तरीके से वह मुसीबत के समय इस एप के द्वारा शातिर बदमाशों से अपने आप को बचा सकते हैं।

हालांकि हिम्मत ऐप दिल्ली पुलिस के द्वारा काफी जोर–शोर के साथ जोश में लांच किया गया था लेकिन इसकी कई ऐसी कमियां थी जिनके द्वारा हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में यह कितना सफल रहा? इसके द्वारा कितनी महिलाओं ने पंजीकरण कराया? इस संदर्भ में संसदीय समिति द्वारा माना गया था कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा इस पर पंजीकरण कराया गया ऐसे में यह अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। मार्च 2018 में संसदीय समिति के द्वारा संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि 1.9 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले इस शहर में केवल 30821 पंजीकरण होने की वजह से नारी सुरक्षा के मसले पर एसओएस की शक्ल में यह रूप ऐप पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका। ङ इसका जटिलता से भरा हुआ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हिंदी भाषा में इस ऐप का उपलब्ध न होना इत्यादि इन सब की वजह से इस ऐप के प्रयोग में महिलाओं की इसमें रुचि नहीं बढ़ी और बाद में समिति ने दिल्ली पुलिस को प्रपोजल दिया कि वह इस ऐप को फिर से निर्मित करे और इसकी सूचना महिलाओं एवं युवतियों के बीच करें। और फिर इस ऐप का नया रूप इसके प्रयोग करने वालों के सामने आया जो कि प्रयोग करने में काफी आसान है। साथ ही साथ हिंदी में भी उपलब्ध है, जिससे कि अंग्रेजी ना समझने और बोलने वाली महिलाएं भी इसे यूज कर सकती है। क्योंकि यह बात सच है कि जो महिला मुसीबत में है वह सिर्फ इसी आधार पर कि वह अंग्रेजी भाषा जानती हो या उसका प्रयोग कर सकती हो, तभी अपनी सुरक्षा कर पाएं तो ऐसा नहीं होना चहिए। इसीलिए अब इस ऐप के द्वारा जो महिला अंग्रेजी जानती हो या न जानती हो, इस एप के द्वारा तत्काल ही मदद मांग सकती है, बस उसके पास उसका मोबाइल फोन उपल्ब्ध होना चाहिए।

अभिव्यक्ति ऐप(छत्तीसगढ़)) राज्य की बच्चियों और औरतों को मुसीबत से सुरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के विभाग के द्वारा अभिव्यक्ति ऐप को तैयार किया गया। इस ऐप में एसओएस नामक फीचर है और साथ ही साथ एक पैनिक बटन भी है जिससे कि यह बटन दबाते ही संकट की परिस्थिति में घिरी हुई महिला के पास तुरंत पुलिस की सहायता पहुंच जाएंगी। सही तरीके से इस ऐप का समुचित रुप से प्रचार प्रसार करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों और महिलाओं को इसकी जानकारी देने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालय में पुलिस टीम के द्वारा जानकारी भी गई।[4]

छत्तीसगढ़ के जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही राज्य में भी अपने आप को लेकर महिलाएं सचेत है और राज्य की औरतों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जब अभिव्यक्ति ऐप को वहां लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता देना थे। अभिव्यक्ति एप के माध्यम से कोई भी महिला संकट के समय इस ऐप के द्वारा शिकायत दर्ज करा कर सहायता ले सकती है[5]

यहां यह जानना आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की अभिव्यक्ति ऐप में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रमुख फीचर की व्यवस्था की गई है और पुलिस की शक्ति टीम के द्वारा सेल्फ डिफेंस में प्रैक्टिस करवा कर असामाजिक तत्वों से महिलाओं को बचाना के गुर सिखाए गए हैं जिसमें आने जाने के दौरान या जब महिलाएं बाहर होती हैं तो वह किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इस ऐप का इस्तेमाल कर पुलिस से अपने आपको अवगत करा सके इसके लिए महिलाओं को शॉर्ट फिल्म दिखा कर भी जागरूक किया गया। तथा पुलिस की शक्ति टीम के द्वारा स्कूल और कॉलेजों में इस ऐप से महिलाओं को अवगत करवाया जा रहा है। जो औरतों को सशक्त बनाने में काफी मददगार हो रहा है।[6]

अभिव्यक्ति एप के द्वारा मुसीबत में घिरी महिला तत्काल ही ऑडियो वीडियो भेज सकती है जिससे इस ऐप में मौजूद SOS के विकल्प से 10 से 15 सेकंड में ही वीडियो और ऑडियो पुलिस के पास तत्काल ही पहुंचती है और महिला को सहायता मिलती हैं।[7]

एमपी– ई– कॉप (मध्य प्रदेश)

मध्यप्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु वहां की पुलिस के द्वारा 'एमपी ई कॉपश नामक एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया, जिसके द्वारा प्रदेश में किसी भी महिला के द्वारा इस ऐप की सहायता से संकट में फंसने की स्थिति में मदद की मांग की जा सकती है।[8] ऐसे में पुलिस के पास तो महिला की सूचना पहुंचते ही है साथ ही साथ वह अपने परिवार वालों को भी सिग्नल भेज सकती है, क्योंकि लड़कियां या महिलाएं अधिकांशत काम के सिलसिले में जब घर से बाहर रहती है तो इस ऐप की मदद से वह अपने परिवार के साथ साथ मुसीबत में फंसने पर पुलिस टीम को भी सावधान कर सकती है।[9]

मध्य प्रदेश में 'एमपीदृईदृकॉप' में भी एसओएस बटन के सुविधा दी हुई थी उसमें जैसे ही मुसीबत में फंसी महिला तुरंत ही जब यह बटन दबाती है वैसे ही पहले से ही सेलेक्ट नंबरों पर मदद के लिए मैसेज पहुंच जाएगा।[10] जिससे कि महिला सुरक्षा को जिले में सुनिश्चित रखने का जो उद्देश्य था उसे पूरा किया जा सके।

स्पीक अप ऐप (भीलवाड़ा राजस्थान)

भीलवाड़ा राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए स्पीक अप ऐप तैयार किया गया और जिला स्तर पर भीलवाड़ा पुलिस के द्वारा लांच किया गया। इस एप के द्वारा मुसीबत में फंसी महिला द्वारा मदद मांगने पर महिलाओं को तुरंत मदद मिले और जिले में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, ऐसा इस एप के द्वारा पूरा करने का सोचा गया। इसे लॉन्च करते समय पुलिस उप अधीक्षक प्रियंका कुमावत के द्वारा इसे लांच किया गया।[11]

नारी सुरक्षा के मसले पर चुनौतियां और समाधान

सरकार प्रशासन और पुलिस के इतने सारे प्रयासों के बाद भी नारी सुरक्षा के मसले पर अभी भी इतनी चुनौतियां हैं जो कही कही कहीं ना कहीं हमारे समाज की घटिया घिनौनी मानसिकता को दिखाता है इसके अलावा हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जितना काम होना चाहिए था,वह काफ़ी नहीं हुआ, अभी भी कार्य करने की आवश्यकता है। हालांकि नारी सुरक्षा को लेकर हर सरकार, प्रशासन के सहयोग से नीति और कायदे कानून बना रही है, लेकिन इसे संपूर्ण तरीके से अमल में लेकर आने में अभी हमें और कदम बढ़ाने की आवश्यकता है।

कहीं ना कहीं आज भी बाहर जाने वाली युवतियां और महिलाएं अपने साथ हुए बुरे बर्ताव को लेकर अचानक से उनके साथ घटित होती घटना के बारे में समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहां तक कि परिवार और समाज के डर के भय से बोझ से वे बुरे बर्ताव की घटना को जो उनके साथ घटित होती है, कई बार बता भी नहीं पाती और दुर्घटना का शिकार हुई बच्चियां और महिला को न्याय मिलना असंभव सा हो जाता है, और समाज में अपराध करने वाला व्यक्ति खुलेआम घूमता है, इसीलिए आवश्यक है कि समाज का नजरिया बदला जाए। [12] महिलाओं के साथ कोई भी घटना घटित हो तो सबसे पहले परिवार का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है ताकि वह मानसिक रूप से कमजोर ना पड़े। [1]ङ इस संदर्भ में मोबाइल ऐप काफी सहायक साबित हुए हैं। ज्यादातर यह देखा गया है कि अपराधी उन्ही बालिकाओं या युवतियों व महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं जो काफी आसान तरीके से उनकी टारगेट बन सके। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि सड़क पर जब भी कहीं भी वह जब घर से बाहर निकले तो नजरें नीची ना करके अपनी नजर को हर जगह पर सतर्क रखकर सर उठा कर चले और कहीं भी जब वह बाहर हो तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अनजान आदमी के आगे अगर वह कोई भी रास्ता या कोई बिल्डिंग के बारे में जबकि वह उसके बारे में ना भी जानती हो तो भी यह बात अनजान आदमी के आगे उजागर नहीं करनी चाहिए और अपनेआत्मविश्वास में कमी नहीं लेकर आने देनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई महिला कैब करे या ऑटो करे तो उसे ऑटो या कैब ड्राइवर के सामने ही अपने घर वालों के साथ कैब/ऑटो ड्राइवर का वाहन नंबर, फ़ोन पर शेयर करना चाहिए ताकि ड्राइवर को यह पता रहे कि उसकी गाड़ी का नंबर शेयर किया जा चुका है,ताकि वह किसी भी बुरी घटना को अंजाम देने से पहले कई बार सोचे और महिला भी अपने आप को सुरक्षित रख पाए। साथ ही साथ महिला को भी अनजान रास्ते में अनजान तरीके से कैब लेने से बचना चाहिए और अगर कोई पहले से ही कैब में सवार हो तो ऐसी कैब में बैठने से बचना चाहिए। महिला को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैब के रास्तों पर आने वाले पुलिस स्टेशन और पीसीआर पर भी नजर रखनी चाहिए। पुलिस और अपने घर के नंबर को हमेशा स्पीड डायल पर रखने की ही कोशिश होनी चाहिए ताकि मुसीबत के समय उन्हें तत्काल संपर्क किया जा सके।[14] साथ ही साथ अपराधी को उसके किए गए अपराध के लिए कड़े से कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा निर्भया केस के बाद न्यायालय के द्वारा यह संदेश दिया गया। तिहाड़ जेल के पूर्व महानिदेशक विमला मेहरा के अनुसार दिल्ली में कई बार छेड़खानी की घटनाओं को पुलिस के द्वारा भी हल्के में लेने से बाद में अपराधियों की हिम्मत और बढ़ जाती है अतः पुलिस की जागरूकता महिला तथा युवतियों को सुरक्षा दे सकती है।[15]

इस संदर्भ में डीएसएलएसए की काफी प्रभावी भूमिका रही है डीएलएसए के सचिव तथा न्यायाधीश अभिषेक कुमार के अनुसार देश की सभी बालिकाओं तथा महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाना ज़रूरी है, साथ ही साथ उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना आवश्यक है। डीएसएलएसए महिलाओं को बिना कोई पैसा लिए फ्री में कानूनी सहायता देता है। डीएलएसए अधिकारियों द्वारा स्कूलों तथा कॉलेजों में बच्चियों को आत्मरक्षा का ज्ञान सिखाया जाता है तथा इसके अलावा ऐडऑन कोर्स के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के कानूनी जानकारों के द्वारा बच्चियों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाती है। और इन सभी सेशन्स को इंटरएक्टिव सेशन के रूप में रखा जाता है। यह काम डीएलएसए जिला स्तर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल महिला यूनिट तथा बाल यूनिट संस्थाओं के साथ मिलकर यह अभियान चलाती हैं।[16]

पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाएं और सड़क पर महिलाओं पर छींटाकशी टीका टिप्पणी इत्यादि की घटनाएं तेजी से बढ़ी है ऐसे में आज के समय की मांग है कि जब भी महिलाएं घर से बाहर निकले तो अपनी सुरक्षा अपने साथ करके चले। क्योंकि काम के सिलसिले में महिलाओं को रात के समय भी बाहर रहना पड़ सकता है या देर रात घर पर आना पड़ सकता है ऐसे में उन्हें रात को कैब या टैक्सी लेनी पड़ती है जिसके लिए उन्हें अपने साथ हर समय अपने पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम करके रखना पड़ता है जो उनकी सुरक्षा के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है ऐसे में महिला के मोबाइल में मौजूद ऐप उनकी सहायता कर सकते हैं। हालांकि सभी महिलाओं के पास अभी भी स्मार्टफोंस की कमी है और जिनके पास फोन है भी तो वह स्मार्टफोन का समुचित तरीके से प्रयोग नहीं कर रही है ऐसे में इन एप का महिलाओं की सुरक्षा में प्रभाव कारी भूमिका निभाना इनकी भूमिका को बहुत सीमित कर देता है जिसकी वजह से समाज की सभी महिलाओं को इनका फायदा नहीं मिल पाता। अतः आवश्यकता है कि महिलाओं को इन मोबाइल एप के प्रयोग करने के तरीके को समुचित रूप से सिखाया जाए। साथ साथ महिला की खुद की सजगता और पैनी निगाहें ,सड़क पर झुककर ना चल कर सीधा हर तरफ की स्थिति को भाप कर चलना काफी आवश्यक है साथ ही साथ जैसे ही वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करें तभी अपने मोबाइल में मौजूद एप की सहायता से अपने आप को उस आपातकालीन स्थिति में सेव कर सके यही इनका उद्देश्य है जो काफी हद तक पूरा हो रहा है।

संदर्भ सूची

1. सरोज सिंह, "ताकि आप सड़क पर चले बेधड़क" नवभारत टाइम्स, अपडेटेड 30 दिसंबर 2012
2. एनडीटीवी.इन "दिल्ली की महिलाओं की मदद करेगा हिम्मत ऐप", अपडेटेड 4 जनवरी 2015
3. 'महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का हिम्मत ऐप उद्देश्य की पूर्ति करने में विफलः संसदीय पैनल',The Economic Times,11 March 2018, http://economic times. Indiatimes-com
4. Dhamtari: "महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने बनाई अभिव्यक्ति एप, एक क्लिक में तुरंत पहुंचेगी पुलिस",एबीपी न्यूज, दिलीप कुमार शर्मा, दुर्ग, अपडेटेड 15 Feb 2022, www-abplive-com
5. "जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस द्वारा दी गई अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी' 9 जनवरी 2022 टीवी 36 हिंदुस्तान, http-//www.tv36hindustan.com.in
6. Dhamatri opcit एबीपी न्यूज़, दिलीप कुमार शर्मा दुर्ग, 15 February 2022
7. नई दुनिया डॉट कॉम," महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना एप, एक क्लिक में पुलिस तक पहुंच जाएगी सूचना", अपडेटेड 13 मार्च 2022
8. एनडीटीवी इंडिया, http://ndtv-in, 16 December hui2019, "इस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया एप, एन वक्त पर आ जाएगी पुलिस", अपडेटेड 16 दिसंबर 2019
9. दैनिक भास्कर, "दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लांच किया नया ऐप ", https://www-Bhaskar-com,2015
10. रवीश पाल सिंह, 7 जनवरी 2017, "एम पी में महिलाओं के रक्षा करेगा ये ऐप", आजतक. इन
11. "भीलवाड़ा राजस्थान में लॉन्च हुआ महिला सुरक्षा एप", www.etvbharat.com, 09 November 2021, speak up App: "भीलवाड़ा में लॉन्च हुआ महिला सुरक्षा एप, शिकायत पर तुरंत मिलेगी पुलिस सहायता"।
12. संजय पोखरियालः "जागरण समाज में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस के तत्परता से बदलेगा न्याय के प्रति विश्वास" 18 अगस्त 2021, www.Jagran.com
13. Ibid
14. सरोज सिंह , वचबपज नवभारत टाइम्स, 30 दिसंबर 2012
15. संजय पोखरियाल,opcit 18 अगस्त 2021
16. "मुसीबत में फंसी महिलाए कैसे कर सकती है अपनी सहायता दिल्ली पुलिस ने 10 दिन की ट्रेनिंग में सिखाए ये गुर", न्यूज 18 हिंदी hindi. news18.com/com/amp/ne,updated 20 November 2021